"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 जून 2014— ज्येष्ठ 15, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-7/आठ-परि./2013. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

(1) नियम 76 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"76-क. प्रक्रम यान अनुज्ञापत्र की शर्तें-

1. धारा 72 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक प्रक्रम यान अनुज्ञापत्र में निम्नलिखित शर्तें संलग्न की जायेगी, अर्थात् :-

(1) यह कि प्रक्रम यान का उपयोग, केवल अनुज्ञापत्र में यथा विनिर्दिष्ट मार्ग अथवा क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, पर किया जायेगा।

(2) यह कि सेवा का नियमित प्रचालन, अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट मार्ग पर, अनुमोदित समय चक्र के अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर किया जायेगा-

(क) जब दुर्घटना के कारण मार्ग, वाहन चलाने योग्य न हो या किसी अपरिहार्य कारण से अवरुद्ध हो ; और

(ख) होली में 2 (दो) दिन के लिये एवं दीवाली में 1 (एक) दिन के लिये सेवा का अप्रचालन मान्य होगा।

(ग) जब प्रादेशिक/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, लिखित में अन्यथा प्राधिकृत किया गया हो।

(3) यह कि असाधारण कारणों से वाहन का सम्यक् प्रचालन करने एवं यात्रियों को ढोने से मना नहीं किया जायेगा।

(4) यह कि प्रक्रम यान का प्रचालन, ऐसी अवधि, फेरों की संख्या एवं समय-चक्र के लिये विधिमान्य रहेगी, जैसा कि अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट हो।

(5) यह कि इस अनुज्ञापत्र के साथ प्रक्रमवार समय–चक्र संलग्न किया जायेगा। प्रक्रम यान का संचालन अनुज्ञापत्र में अनुमोदित समय–चक्र के अनुसार किया जायेगा और प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमोदित किराया–सूची के अनुसार किराया प्रभारित किया जायेगा।

(6) यह कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा अनुमोदित प्रक्रम यान की प्रक्रमवार समय–चक्र एवं किराया–सूची की प्रतियां, वाहन पर तथा यथा अनुमोदित बस स्टैण्ड एवं मार्ग में रुकने के स्थानों पर, प्रदर्शित की जायेंगी।

(7) यह कि नगर निगम की सीमा के भीतर के मार्ग एवं ऐसे अन्य स्थानीय निकाय की सीमाओं और स्थलों, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अनुसार रुकने के स्थान विनिर्दिष्ट किये गये हैं को छोड़कर, यात्रियों एवं माल को चढ़ाया या उतारा नहीं जाएगा।

(8) यह कि प्रक्रम यान पर अधिकतम उतने ही यात्री ढोयें जाएंगे, जैसा कि इस अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र में उल्लिखित है। निर्धारित सीमा से अधिक यात्री ढोना (ओव्हर लोडिंग), अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन होगा। छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 78 एवं 80 के प्रावधानों के अनुसार सामान (लगेज) का अधिकतम भार ले जाया जा सकेगा।

(9) यह कि निःशक्त यात्रियों के लिए तीन सीट चिन्हांकित रहेगी तथा अनुज्ञापत्र धारक, ऐसे वाहन में उक्त यात्री को बैठाने एवं उतारने के लिए युक्तियुक्त सुविधायें उपलब्ध करायेगा।

(10) यह कि वाहन की बैठक क्षमता की पच्चीस प्रतिशत सीटें, महिला यात्रियों के लिए चिन्हांकित रहेगी और "महिलाओं के लिए आरक्षित" प्रदर्शित करने वाला एक बोर्ड (पट्ट), युक्तियुक्त (सहजदृश्य) स्थल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(11) यह कि चालक एवं परिचालक, यात्रियों के साथ विशेष रूप से महिलाओं, निःशक्त व्यक्ति, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ सभ्य और अनुशासित रूप से व्यवहार करेंगे और उन्हें बैठते एवं उतरते समय सहयोग करेंगे।

(12) यह कि यदि किसी बस में बैठते समय किसी महिला के विरूद्ध अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार आदि की घटना घटित होती है जिससे

उसकी लज्जा भंग होती है तो उस वाहन के कर्मचारियों अर्थात् यथास्थिति, चालक एवं परिचालक का कर्तव्य होगा कि तत्काल पुलिस को सूचित करे और वाहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी/पीसीआर वाहन तक ले जाये और ऐसे अपराधी को पुलिस को सौंपे।

(13) यह कि प्रक्रम यान मे कोई भी विस्फोटक पदार्थ, प्रतिबंधित एवं गैर-कानूनी सामग्री नहीं ढोयी जायेगी।

(14) यह कि अनुमोदित एवं मुहर लगी हुई शिकायत पुस्तिका, वाहन में रखी जाएगी। मांगे जाने पर इसे यात्रियों को दिया जाएगा। यात्रा की समाप्ति पर लिखित शिकायतो का निपटारा अनुज्ञापत्र धारक द्वारा किया जाएगा एवं उसके निपटान के सबूत के रूप में टीप अंकित किया जाएगा। माह की समाप्ति के सात दिवस के भीतर इसे अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(15) यह कि छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में यथा विनिर्दिष्ट सुविधाओं का विशिष्ट मानक एवं प्रक्रम यान में उच्च कोटि की स्वच्छता रखी जाएगी तथा वाहन को छूत एवं संक्रामक बीमारियों से सावधिक रूप से निष्प्रभावी रखा जाएगा।

(16) यह कि प्रक्रम यान में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्रियों को पूर्व-मुद्रित टिकिट जारी की जाएगी। टिकिट, पुस्तिका में डुप्लीकेट प्रति के साथ मुद्रित होगी, जिसमें अनुज्ञापत्र धारक का विवरण, टिकिट का सरल क्रमांक एवं बुक नम्बर, यात्री के यात्रा के प्रारंभिक स्थान एवं अंतिम स्थान, प्रभारित किराये की राशि, टिकिट के जारी होने का दिनांक तथा परिचालक का हस्ताक्षर होगा। टिकिट की प्रथम प्रति, यात्री को जारी की जाएगी और कार्बन प्रति टिकिट पुस्तिका में रखी जाएगी। टिकिट पर अस्पष्ट एवं कांट-छांट वाली लिपि होने पर इस शर्त का उल्लघंन माना जाएगा। ऐसा टिकिट प्रतिवेदन, ऐसे टिकिट के उपयोग की अंतिम तिथि से दो वर्ष के लिये, शिकायतों, यदि कोई हो, के निपटारे के लिए, सुरक्षित रखा जाएगा।

(17) यह कि डाक विभाग के अनुरोध पर, अनुज्ञापत्र धारक अनिवार्य रूप से अनुबंध निष्पादित करेगा और शर्तों के अनुसार अनुज्ञापत्र में दर्शित मार्ग पर वाहन मे डाक ले जाएगा। ऐसा अनुबंध, ऐसी शर्तो के अध्यधीन होंगी, जिसमें

डाक लाने एवं ले जाने का समय सशर्त सम्मिलित होगा और ऐसा किराया लिया जाएगा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

(18) यह कि विनिर्दिष्ट बस स्टेशन या आश्रय मार्ग, जो शासन अथवा स्थानीय निकाय द्वारा बनाये गये (संधारित) है, का उपयोग किया जाएगा और ऐसा विनिर्दिष्ट किराया अथवा फीस, ऐसे उपयोग के लिए अनुज्ञापत्र धारक द्वारा देय होगा।

(19) यह कि जब कभी भी प्रक्रम यान को लोकसभा, विधानसभा के चुनाव अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय के चुनावों, शासकीय अभियान या शासकीय कार्यक्रमों के लिए अधिग्रहित की जाएगी तो अनुज्ञापत्र धारक, ऐसे अधिग्रहण आदेश का आवश्यक रूप से अनुपालन करेगा और अपने स्वामित्व (बेड़े) की सभी वाहनों को, निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अधिग्रहण करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, अधिग्रहित वाहन अच्छी चालू स्थिति में होनी चाहिए और चालक एवं परिचालक विहित वर्दी में होने चाहिए।

(20) यह कि इस अनुज्ञापत्र का धारक, राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को निम्नलिखित सावधिक पत्रक, सांख्यिकी और अन्य सूचनायें प्रस्तुत करेगा:—

(क) इस अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करते समय, चालू हालत वाले प्रक्रम यानों की एक सूची उनके मेक एवं मॉडल, बैठक क्षमता, निर्माता का नाम, वाहन प्रकार; जैसे—"साधारण" "एक्सप्रेस" "डीलक्स" "शयनयान" "अर्धशयनयान" "वातानुकूलित" अथवा "गैर वातानुकूलित" संबंधी विवरण सहित;

(ख) इस अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदनपत्र को प्रस्तुत करते समय, प्रक्रम यान अनुज्ञापत्रों, संविदा वाहन अनुज्ञापत्रों, आरक्षित प्रक्रम यान अनुज्ञापत्रों, अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों, जो अनुज्ञापत्र धारक के नाम पर है, की एक सूची जिसमें अनुज्ञापत्र क्रमांक, अनुज्ञापत्र की वैधता, अनुज्ञापत्र का मार्ग और उसके प्रतिदिन फेरों की संख्यां का विवरण होगा;

(ग) इस अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित वाहन; इस अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित यान में ले जाने वाले यात्रियों तिमाही सांख्यिकी जानकारी, जिसमें परिचालक का नाम जो उस तिमाही के दौरान कर्तव्य पर था, साथ ही

उसका नम्बर एवं वैधता सम्मिलित होगा, तिमाही समाप्त होने के 15 दिवस के भीतर अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(21) यह कि अनुज्ञापत्र धारक, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, यात्रियों को ढोने के उद्देश्य से या ढोने के आशय से, प्रक्रम यान का उपयोग तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसका चालक, वैध चालक अनुज्ञप्ति के साथ साथ अधिनियम के अध्याय–दो के अधीन जारी वैध प्राधिकारपत्र धारण नही करता हो और परिचालक, अधिनियम के अध्याय–तीन के अधीन जारी वैध परिचालक अनुज्ञप्ति धारण नही करता हो,

(22) यह कि अनुज्ञापत्र धारक अपने बेड़े के प्रत्येक चालक एवं परिचालक को बुकलेट में पहचान पत्र अनिवार्य रूप से जारी करेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होगी:–

(क) अनुज्ञापत्र धारक का नाम, पता, फोन, मोबाईल नम्बर सहित;

(ख) चालक का नाम, पिता का नाम, पता और जन्म तिथि;

(ग) चालक/परिचालक का एक प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा होगा;

(घ) चालक अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता, वाहन का वर्ग, बिल्ला नम्बर, और लोक सेवा यान चलाने का प्राधिकारपत्र;

(ङ) चालक के कर्तव्य के मामले में छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 17 का उद्धरण एवं परिचालक के कर्तव्य के मामले में नियम 32 का उद्धरण;

(च) निःशक्त व्यक्ति, महिला, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य यात्रियों के संबंध में शासन के निर्देशों की जानकारी।

(23) यह कि इस अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित प्रक्रम यान का चालक, यात्रा की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 17 एवं 32 में उल्लिखित समस्त कर्तव्यों एवं शर्तो का अनुसरण करेगा।

(24) यह कि अनुज्ञापत्र धारक, वाहन पर यात्री के सामान (लगेज) को कुशलतापूर्वक अर्थात् सुरक्षित ले जाने के लिए और उसे वर्षा से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगा।

(25) यह कि नियम 180 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्रक्रम यान में धूलमुक्त फर्स्ट–एड बॉक्स रखेगा जो वाहन के प्रचालन के दौरान हमेशा उपलब्ध रहेगा और नियम 176 के प्रावधानों के अधीन अग्निशमन यंत्र वाहन में लगाये जाएंगे, जिसे सदैव चालू हालत में रखा जाएगा।

(26) यह कि धारा 112 की उप–धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्त वाहन को नियत गति से अधिक गति पर प्रचालित नहीं किया जायेगा।

(27) यह कि वाहन को परिवर्तित करते समय परिवर्तित वाहन की बैठक क्षमता, पुरानी वाहन की बैठक क्षमता से कम नहीं होगी। यह शर्त वहा लागू नही होगी, जहां साधारण यान को डीलक्स यान में परिवर्तित किया जा रहा है अथवा डीलक्स यान को शयनयान (स्लीपर कोच) में प्रथम बार परिवर्तित किया जा रहा है।

(28) यह कि इस अनुज्ञापत्र द्वारा आच्छादित प्रक्रम यान मे, उसके अग्र भाग में और पीछे की ओर, प्रारम्भिक स्थान से समाप्त होने वाले स्थान को दर्शाने वाला अर्थात् एक गन्तव्य बोर्ड प्रदर्शित करेगा, जो यात्रियों को जमीन से कम से कम 25 मीटर (पच्चीस मीटर) की दूरी से दृष्टिगोचर होगा।

(29) यह कि वाहन में वैश्विक प्रास्थिति प्रणाली (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम), संस्थापित किया जाएगा और बस के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह संस्थापित जी पी एस हमेशा चालू हालत में रहे।

(30) यह कि बस मे पर्दे या फिल्म युक्त कांच नही लगाये जाएंगे। इसके अतिरिक्त विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये हवापट्ट (विंडस्क्रीन) पीछे की खिड़की (रेयर विंडोव) एवं पार्श्व खिड़की (साईड विंडोव) में कांच लगाने की दशा में ऐसी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, जैसा कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 (2) तथा माननीय उच्चतम न्यायालय डब्ल्यू.पी.सी क्र–265/2011, दिनांक 27 अप्रैल 2012 के निर्णय के अधीन विहित है।

(31) यह कि इस अनुज्ञापत्र से संबंधित प्रत्येक वाहन में निम्नलिखित सूचनायें दर्शित की जायेगी, जो उस वाहन के बाहरी ओर उसके दोनों ओर वाहन के रंग से व्यतिरेक रंग या रंगों मे स्पष्ट दर्शित रूप में होगा, जो यथा संभव खिड़कियों के नीचे एक पंक्ति में ऐसे आकार (परिमाप) में होगा, जो पंजीयन प्लेट के लिए विहित अक्षरो एवं अंकों के आकार से कम नहीं होगाः–

1. वाहन स्वामी का नाम एवं पता।

2 वाहन स्वामी का फोन नम्बर।

3 अनुज्ञापत्र का क्रमांक एवं उसका प्रकार।

4 अनुज्ञापत्र की वैधता।

5. पुलिस हेल्पलाईन नम्बर।

(32) यह कि बस के अंदर सहजदृश्य स्थान पर व्यतिरेक रंग में, चालक का विवरण (अर्थात् नाम, पता, अनुज्ञप्ति क्रमांक, बेज नम्बर) एवं बस स्वामी का टेलीफोन नम्बर, अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाले आर.टी.ओ. (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) का फोन नम्बर एवं वाहन का पंजीयन क्रमांक प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि बस के भीतर सभी यात्रियों को सुस्पष्ट रूप से दर्शित हो।

(33) यह कि कार्य पर प्रचालित सभी बस, स्वामी के यहा रखी जाएगी और इन्हें चालक अथवा अन्य स्टॉफ के सदस्य के यहां नहीं रखी जाएगी।

(34). यह कि अनुज्ञापत्र धारक सुनिश्चित करेगा कि किसी चालक को एक दिन में आठ घंटे से अधिक कर्तव्य पर रहने हेतु अनुज्ञात न किया जाए और जहां बस, आठ घंटे से अधिक प्रचालित होती है तो दूसरा चालक नियुक्त करें।

(35) यह कि छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 169 के प्रावधान के अनुसार, यात्रियों के प्रवेश या निर्गम द्वार सहित कोष्ठ (कम्पार्टमेन्ट) समुचित रूप से प्रकाशित किये जायेंगे तथा उस पर ऐसे आवरण रखे जायेंगे, ताकि उससे चालक को कोई बाधा न हो। रात्रिकालीन सेवा में चलाये जाने वाले वाहनों में, नीली रंग की रात्रि बल्बों (ब्लू लाईट नाईट लैम्पों) की व्यवस्था की जाएगी।

(36) यह कि अनुज्ञापत्र की शर्तों में, अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाले/ प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन के सिवाय, विचलित नहीं किया जायेगा।

(37) यह कि राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि के दौरान, कम से कम एक माह की सूचना देने के पश्चात्–

(क) अनुज्ञापत्र की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा।
(ख) अनुज्ञापत्र के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा।

(38) यह कि अधिनियम की धारा 72 की उप–धारा (2) के खण्ड (xxii) में विनिर्दिष्ट परन्तुक में उल्लिखित प्रावधान, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों के लिये लागू होंगी।

(39) यह कि अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाला प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 84 तथा इस नियम के नियम 77 के उप–नियम (1) में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त, किसी भी समय कोई भी शर्त अधिरोपित कर सकेगा।

(40) यह कि अनुज्ञापत्र की शर्तों की एक समेकित सूची, अनुज्ञापत्र, जिसकी स्वीकृति, नवीकरण एवं उसके प्रतिहस्ताक्षर के दौरान अधिरोपित किया था, के साथ संलग्न करेगा।"

(2) नियम 77 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: **77–कतिपय अनुज्ञापत्रों के संबंध में अतिरिक्त शर्तें**:– धारा 72 की उप–धारा (2), धारा 74 की उप–धारा (2), धारा 79 की उप–धारा (2) में विहित शर्तों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें होंगी, अर्थात्:–

(1) प्रत्येक अनुज्ञापत्र में यह शर्त होगी कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध के अनुसार यान के संबंध में कर संदत्त किये जाएंगे। परिवहन प्राधिकारी को कर का संदाय नहीं करने की दशा में अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया जाएगा, ऐसा निलम्बन आदेश उस समय तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कर असंदत्त बना रहे और यान पर देय कर के भुगतान होने पर तत्काल प्रभावी होगा।

(2) प्रत्येक मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र अथवा ठेका गाड़ी अनुज्ञापत्र की यह शर्त होगी कि उक्त अनुज्ञापत्र किसी एक समय में दो माह से अधिक के लिए तथा उक्त अनुज्ञापत्र की वैधता के दौरान अनुपयोग में नहीं रखा जायेगा। ऐसे अनुपयोग की कुल अवधि आठ माह से अधिक नहीं होगी। यदि वाहन में तकनीकी खराबी अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, अनुज्ञापत्र दो माह से अधिक के लिए अनुपयोग में रखा जाता है अथवा अन्य कारणों से अनुज्ञापत्र से आच्छादित वाहन दो माह से अधिक के लिए प्रचालित नहीं है तो अनुज्ञापत्र धारक को समान विशिष्टियों की वाहन का प्रतिस्थापन करना होगा या अनुज्ञापत्र को अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी के समक्ष निरस्तीकरण हेतु अभ्यर्पित करना होगा।

(3) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, जहां प्रक्रमवाहन अनुज्ञापत्र का धारक, ऐसे अनुज्ञापत्र के साथ अथवा उस अनुज्ञापत्र के वाहन

के बिना अनुपयोग में पंद्रह दिन से अधिक के लिये रखता है, तो अनुज्ञापत्र प्रदान करने वाला प्राधिकारी, किसी अन्य व्यक्ति को उस मार्ग या उसके भाग पर अनुपयोग की अवधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी कर सकेगा। स्थायी अनुज्ञापत्र धारक, इस प्रकार जारी स्थायी अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि के दौरान अनुपयोग से स्थायी अनुज्ञापत्र को वापस नहीं लेगा।

(4) लोक सेवा यान के संबंध में अनुज्ञापत्र इस शर्त के अध्यधीन रहेगा कि उसका धारक, ऐसे यान पर यात्रियों के सामान (लगेज) को युक्तियुक्त मात्रा में कुशलतापूर्वक अर्थात् सुरक्षित ले जाने एवं उसे वर्षा से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेगा।

(5) मालयान से संबंधित अनुज्ञापत्र, निम्नलिखित शर्तों में से एक या अधिक शर्तो के अध्यधीन होगाः–

(एक) यह कि यान का उपयोग, किसी ऐसे वर्ग या प्रकार के माल ले जाने के लिए, जो किसी विधि या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या जारी किये गये किसी आदेश, जो ऐसे माल के आयात, निर्यात या परिवहन को विनियमित करने से प्रतिबंधित करता हो, के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा;

(दो) यह कि यान में ले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, अनुज्ञापत्र में यथा विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी; और

(तीन) यह कि कोई भी माल प्रतिहस्ताक्षर करने वाले राज्य के भीतर पूर्ण रूप से स्थित किसी दो स्थानों के बीच में चढ़ाया या उतारा नहीं जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, सचिव.

Raipur, the 5th June 2014

NOTIFICATION

No. F 5-7/viii-Trans/2013.— In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

(1) After rule-76, the following shall be added, namely:-

"76-A, Conditions of stage carriage permit-

1. Subject to the provision of sub-section (2) of Section 72, the following conditions shall be attached to every Stage Carriage Permit, namely:-

(1) That the Stage Carriage shall be used only on the route or the area as the case may be, as specified in the permit.

(2) That the service shall be regularly operated on the route specified in the permit in accordance with the approved time cycle except-

(a) When prevented by accident, unmotorability of the route, or any unavoidable cause;

(b) That the non-operation of service on Holi for 2 (two) days and Diwali for 1(one) day shall be allowed; and

(c) When otherwise authorized in writing by the State/ Regional Transport Authority, as the case may be.

(3) That the operation of the vehicle due to extra-ordinary reasons and carrying of passengers shall not denied.

(4) That the operation of the Stage Carriage shall be valid for the period, number of trip and time-cycle as specified in the permit.

(5) That the Stage-wise time-cycle shall be enclosed along with this permit. The Stage Carriage shall be operated as per approved time-cycle in the Permit and the fare shall be charged in accordance with the approved fare-table issued by the Authority.

(6) That the copies of the Stage-wise time-cycle and fare-table of the Stage Carriage approved by the State Transport Authority/Regional Transpc Authority, as the case may be, shall be exhibited on the vehicles and as approved stands and halts on the route.

(7) That, within the municipal limits en-route and such other local body limits and places, passengers or goods shall not be taken up or set down except at specified points as prescribed by the Competent Authority.

(8) That the maximum number of passengers shall be carried on the Stage Carriage, as mentioned registration certificate of the vehicles covered by this permit. Over-loading of passenger shall be a breach of permit condition. The maximum weight of luggage may be carried as per provision of Rule 78 and 80 of the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994.

(9) That, three seats shall be earmarked for person with disability passengers and the permit holder shall provide appropriate facilities for boarding or setting down of said passenger in such vehicle.

(10) That, twenty five percentage of seating capacity of the vehicle shall be earmarked for women passengers and a board exhibiting "***reserved for women***" shall be displayed at the appropriate place.

(11) That the driver and conductor shall behave in civil and orderly manner with passenger, specially with women, person with disability, children and senior

citizen, and shall help them at the time of boarding or setting down.

(12) That, in case an incident of indecent behaviour, molestation or eve-teasing etc. against any woman takes place in any bus which tantamounts to outraging her modesty, it shall be the duty of the crew of the vehicle i.e. driver and conductor as the case may be to inform the police immediately and take the vehicle to the nearest police station/police post/PCR van and hand over the culprit to the police.

(13) That, no explosives commodities, restricted and unlawful goods shall be carried in the Stage Carriage.

(14) That, an approved and sealed complaint book shall be carried in the vehicle. On demand it shall be given to the passenger. The written complaint shall be disposed off by the permit holder on the close of journey and remarks shall be noted in proof of disposal thereon. Within seven days on the closing of the month it shall be submitted to the Permit Granting Authority for necessary action.

(15) That, specified standards of comforts as specified in Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994, and high standard of cleanliness shall be maintained in the vehicles and the vehicle shall be disinfected periodically from infectious or contagious disease.

(16) That, the pre-printed ticket shall be issued to each passengers traveling in the Stage Carriage. Ticket shall be printed in duplicate in a book form having the details of the holder of permit, serial number of ticket and book number, origin and destination point of journey of passenger, amount of fair charged, date of issue of ticket and signature of the conductor. First copy of ticket shall be issued to the passenger and carbon copy shall be retained in the ticket book. Invisible and corrupted writing on the ticket shall be regarded a breach of this condition. Such ticket report shall be preserved for two years from the last date of use of such tickets for disposal of complaints, if any.

(17) That, on the request of the postal department, the permit holder shall necessarily enter into an agreement and mail shall be carried as per conditions in the vehicle on the route of the permit. The agreement shall be subject to such conditions including conditions as to the time in which mails are to be carried and the charges which may be levied, as may be specified therein.

(18) That, specified bus station or shelter enroute as maintained by the Government or a local Authority shall be used and any specified rent or fee shall be paid for such use by the permit holder.

(19) That whenever the Stage Carriage is requisitioned for Election of Parliament, Vidhan-Sabha or any other local body election, Government campaign or Government programmes, the permit holder shall necessarily comply such requisition order and shall present all the vehicles of its fleet at the place, date and time before the requisition officer, the requisitioned vehicle should be in good running condition and driver and conductor should be in prescribed dress.

(20) That the holder of this permit shall furnish to the State/Regional Transport Authority, the following periodical returns, statistics and other informations-

(a) A list of Stage Carriage in running condition with the details of make and model, seating capacity, name of manufacturer, type of vehicle i.e."Ordinary" "Express" "Deluxe" "Sleeper" "Semi-sleeper" "Air-Conditioner" or "Non-Air-Conditioner" at the time of submitting the application for the renewal of this permit;

(b) A list of Stage Carriage Permit, Contract Carriage Permit, Reserved Stage Carriage Permit, All-India tourist permit, held in the name of permit holder along with the details of Permit number, validity of permit route of permit and daily trips thereof, at the time of submitting the application for the renewal of this permit.

(c) The vehicle covered by this permit, quarterly statistics information of passengers carried in the vehicle covered by this permit alongwith the name of Conductors, who were on duty during the quarter under consideration and the license number and validity thereof, shall be presented before Permit Granting Officer within 15 days of expiry of quarter.

(21) That the permit holder, shall not use the stage carriage in a public place for the purpose of carrying or intending to carry passengers unless it carries a driver who holds valid driving License along with efective Authorization issued under Chapter-II of the Act and a conductor who holds an effective Conductor's License issued Chapter-III of the Act.

(22) That permit holder shall compulsorily issue an identity card in booklet to each driver and conductor of this fleet, containing the following information:-

(a) Name of the permit holder with address, phone, mobile number;

(b) Name of the driver, father's name, address and date of birth;

(c) An attested passport size photo of the driver/ conductor shall be affixed;

(d) Driver's license, validity, class of vehicle, badge number and authorization to drive a public service vehicle;

(e) In the case of duties of driver's, extract of rules-17, and in the case of duties of conductor extract of rule-32, of Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994.

(f) Government instructions regarding persons with disability women, childrens, senior citizens and other passengers.

(23) that during the period of journey, the driver of the Stage Carriage covered by this permit shall adhere to all duties and

conditions mentioned in rule 17 and 32 of the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994.

(24) That permit holder shall, make provision on such vehicle for the conveyance of a reasonable quantity of passenger's luggage with efficient means for securing and protecting it against rain.

(25) Subject to the provisions of rule 180, a Stage Carriage shall carry a dust proof first-add box, which shall be available every time during the operation of the Bus and under provision of rules 176 the fire extinguishers shall be equipped be maintained in working condition at all times.

(26) The vehicle of the permit shall not operate on the speed more than the speed fixed under sub-section (1) of Section112.

(27) At the time of replacement of vehicle, seating capacity of the vehicle to be replaced shall not be less than the seating capacity of previous vehicle. This condition shall not applicable where ordinary vehicle is replaced by a deluxe vehicle or where a deluxe vehicle is replaced by a sleeper coach for the first time.

(28) That Stage Carriage covered by this permit shall display a destination board i.e. from origin point to termination point on the front and rear of the vehicle which shall be visible from atleast 25 meters (twenty five) to the passengers on ground.

(29) Global Positioning System (GPS) shall be installed in vehicles and it shall be ensured by the owner of the bus that the GPS thus installed is kept in working condition at all time.

(30) The bus shall not be fitted with curtains or glasses having films. Further, in case of the tented glasses of windscreen, rear window and side windows provided by the manufacturer shall be followed such conditions as prescribed under rule 100 (2) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and judgement of the Hon'ble Supreme Court in WPC No-265/2011 dated 27 April, 2012.

(31) That the following information shall be painted to every vehicle to which the permit relates on the exterior of the body

of that vehicle on both sides thereof in a colour or colours vividly contrasting to the colour of the vehicle conferred as high as practicable below the window line in the dimensions not less than the size of letters and numeral prescribed for registration plate-

1. Name of the owner and address.
2. Phone number of owner.
3. Permit number and type.
4. Validity of permit.
5. Police help-line number.

(32) Details of the driver (i.e name, address, licence number, badge number) and telephone no. of the owner of the bus, telephone number of R.T.O. granting permit and registration no. of the vehicle shall be displayed at a conspicuous place inside the bus in contrast colour, so as to be clearly visible to all passengers in the bus.

(33) All of duty buses shall be parked with the owners and not with the driver or other staff members.

(34) Permit holder shall ensure that driver shall not allowed to perform duty more than eight hours in a day and second driver is engaged where buses ply more than eight hours.

(35) As per the provision of rule 169 of Chattishgarh Motoryan Niyam, 1994 the compartment of passengers including entry and exit door shall be properly lighted or proper cover shall be placed so that it shall not disturb the driver. In night services blue light night lamp shall be provided.

(36) That the conditions of the permit shall not be departed from, save with the approval of the Permit Granting/ Countersigning Authority.

(37) That the State/Regional Transport Authority may, during the validity of permit, after giving notice of not less than one month-

(i) Vary the conditions of the permit.

(ii) Attach to the permit further conditions.

(38) That the provision mentioned the proviso specified in clause (xxii) of sub-section (2) of Section 72 of the Act, shall be applicable for the condition of this permit.

(39) Permit Granting Authority may impose any condition at any time in addition to the conditions mentioned in Section 84 of the Act and sub rule(1) of rule 77 of this rule.

(40) A consolidated list of permit conditions shall be attached with the permit which was impose during the acceptance, renewal and countersign thereof."

(2) For rule 77, the following shall be substituted, namely:-

"77. **Additional condition in respect of certain permits.-** In addition to the conditions prescribed in sub-section (2) of Section 72, sub-section (2) of Section 74, and sub-section (2) of Section 79, the following shall be Additional condition, namely:-

(1) It shall be a condition of every permit that taxes shall be paid in respect of a vehicle in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No.25 of 1991) and the rules made thereunder. Permit shall be suspended, in case of non-payment of tax to the Transport Authority, the order of such suspension shall be in force as long as the tax remains unpaid and shall become in operative immediately on payment of the Tax due on the vehicle.

(2) It shall be condition of every stage carriage permit or contract carriage permit that the said permit shall not be kept in non-use for more than two months at the time and during the validity of said permit. The total duration of such non-use shall not be more than eight months. Due to technical break down or accident of vehicle, if the permit is kept is non-use for more than two months or for other reasons, if the vehicle of the permit is not operated for more than two months that the permit holder shall have to replace the vehicle of

same specifications or the permit shall be surrendered for cancellation before the Permit Granting Authority.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (2), where a holder of a Stage Carriage permit kept such permit alongwith or without the vehicle of that permit in non-use for more than fifteen days, the Permit Granting Authority may issue a temporary permit to any other person for the route or part thereof for the period of non-use of any temporary permit to any other person, the substantive permit holder shall not withdraw the substantive permit from non-use during the validity of temporary permit so issued

(4) A permit in respect of a public service vehicle may be subject to the condition that its holder shall, make provision on such vehicle for the conveyance of a reasonable quantity of passenger's luggage with efficiently means for securing and protecting it against rain.

(5) A permit in respect of a goods carriage may be subject to one or more of the following conditions -

(i) that, the vehicle shall not be used for the conveyance of any class or subscription of goods in contravention of any law or any rule or order made there under prohibition for regulating the import, export or transport of such goods;

(ii) that, the number of persons to be carried in the vehicle shall not exceed in number as specified in the permit; and

(iii) that, no goods shall be picked up or set down between.
any two points lying wholly within the countersigning state."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNEJA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.